सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1948 (श०)

संख्या - 119 राँची, गुरुवार, 26 मार्च, 2026 (ई०)

परिवहन विभाग

(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

संकल्प

17 मार्च, 2026

ज्ञापांक-परि०वि०-156/13 part- (खण्ड-I)-341--

विषयः- **झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रुपये के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि 17.00 (सतरह) करोड़ रुपये के अतिरिक्त शेष देय राशि 5,03,31,000/- (पाँच करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रू० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बिरासी लाख) शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/-(तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।**

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-3(4) के अंतर्गत व्यवसायिक वाहन (Transport Vehicle) चालन हेतु चालक अनुज्ञप्ति (Driving License) प्रदान किये जाने के निमित्त प्रशिक्षुओं को न्यूनतम 30 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं व्यवसायिक वाहन चलाने का अनुभव के लिए विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 15 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य

है। साथ ही उक्त नियमावली के अनुसार भारी मोटर वाहनों के चालकों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्राधिकृत संस्थान से प्राप्त करने के उपरांत ही भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का प्रावधान है।

2. सामान्यतः विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना भारी वाहन चालकों को Driving Skills, Traffic Rules & Regulations आदि एवं वाहनों के रख-रखाव से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। फलतः सड़क दुर्घटनाओं से जनित आपदाओं पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

3. अंकणीय यह है कि सम्प्रति राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) स्थापित नहीं है। भारी मोटर वाहन प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने के कारण भारी मोटर वाहनों के चालकों का चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन में असुविधा होती है तथा अप्रशिक्षित चालकों के द्वारा बिना वैद्य चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि निष्कर्षित की गई है।

4. (i) विदित हो कि राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु पूर्व में Tata Motors Ltd.(TML) के साथ Joint Venture की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-745, दिनांक-02.07.2015 द्वारा दी गई है। इसके आलोक में TML एवं राज्य सरकार के बीच दिनांक-03.08.2015 को MoU हस्ताक्षरित किया गया था।

तदालोक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा IDTR जमशेदपुर के निर्माण हेतु मौजा- काशीडीह, थाना नं०-1213, खाता नं०-166, प्लॉट नं०-524/1101 रकबा 12 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई थी एवं उक्त IDTR की स्थापना हेतु TATA Motors Limited से प्राप्त DPR की प्राक्कलित राशि रु० 18,99,25,000/-रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि 17.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त शेष देय राशि रु० 1,99,25,000/- में से राज्य सरकार द्वारा 1.00 करोड़ रूपये वहन किये जाने से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

(ii) IDTR, जमशेदपुर के उक्त निर्माण कार्य वर्ष 2019 से जमशेदपुर अंचल के काशीडीह में प्रारंभ किया गया था, परन्तु वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या एवं स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कार्य बाधित हुआ, जिसके कारण उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा संबंधित परियोजना के स्थल परिवर्त्तन करने हेतु अनुशंसा की गयी।

5. तत्पश्चात, उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का पत्रांक 3310, दिनांक 10.06.2023 द्वारा पूर्वी सिंहभूम स्थित नई चिन्हित भूमि मौजामनपीठा, थाना नं० 1202, खाता नं० 173, प्लॉट सं० 388, 49 एवं 395 रकवा क्रमशः 8.19, 1.65 एवं 2.04 एकड़ कुल 11.88 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है। तदन्तर उक्त प्रदत्त संशोधित नई DPR प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) पर MoRTH, भारत सरकार का पत्रांक-RT-25036/01/2017-RSC(175704), दिनांक-21.03.2025 द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

6. भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य को उक्त निर्माण कार्ययोजना यथा Institute of Driving Training and Research की स्थापना हेतु 17.00 करोड़ रुपए मात्र अनुदान दिया जाएगा तथा

उक्त निर्माण कार्ययोजना हेतु नवचयनित भूस्थल एवं संशोधित नई DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्ययोजना हेतु संशोधित DPR की प्राक्कलित राशि MoRTH, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान राशि से रू० 5,03,31,000/-रूपये अधिक है। उक्त अतिरिक्त राशि में से Tata Motor Ltd. (TML) का पत्रांक- TML/IDTR/16-17/25, दिनांक-18.11.2016 द्वारा रू० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बिरासी लाख) रूपये का वहन किये जाने हेतु सहमति प्राप्त है।

7. पूर्व में राज्य सरकार की संलेख संख्या-1289, दिनांक-19.10.2016 द्वारा रू० 1.00 (एक करोड़) रूपये का वहन किये जाने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी, परन्तु नयी भूमि पर प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये होने के कारण पूर्व में 1.00 करोड़ (एक करोड़) रुपये पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात अतिरिक्त देय राशि रू० 2,21,31,000/-(दो करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) रूपये अर्थात् कुल रू० 3,21,31,000/-(तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने से संबंधित सैद्धांतिक सहमति MoRTH, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। उक्त के आलोक में विषयाधीन निर्माण कार्ययोजना पर व्यय होने वाले राशि का विवरण निम्नवत् हैः

		राशि रूपये में
1-	**केन्द्रांश** Amount to borne by MoRTH	17]00]00]000
2-	Amount to borne by PP Partner i.e. Tata Motor Limited (TML)	1]82]00]000
3-	**राज्यांश**	3]21]31]000
	dy	**22]03]31]000**

8. TML और राज्य सरकार के बीच MoU एवं राज्य सरकार के संकल्प संख्या- 745, दिनांक- 02.07.2015 के Capital Investing के Heading में उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा मात्र संस्थान हेतु भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। चूँकि यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है एवं इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्राप्त DPR की राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) एवं भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि 17.00 करोड़ रुपये के अंतर राशि रू० 5,03,31,000/- में से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वहन किए जाने हेतु मंत्रिमंडल से अनुमोदित राशि 1.00 करोड़ (एक करोड़) रुपये के अतिरिक्त देय राशि रू० 2,21,31,000/- अर्थात कुल रू० 3,21,31,000/- का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

9. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रस्तावित IDTR का निर्माण कार्ययोजना के यथास्वीकृत DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) के शर्तों के अनुरूप कराया जाएगा।

10. उक्त योजना के प्राक्कलन का तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची के पत्रांक-1709, दिनांक-13.08.2024 द्वारा प्राप्त है।

11. अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12.03.2026 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है:-

(i) झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि 17.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त देय राशि रू० 5,03,31,000/-(पांच करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) में से रू० 1,82,00,000/- (एक करोड़ बिरासी लाख) का वहन Tata Motors Ltd. द्वारा किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वहन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद् से अनुमोदित राशि 1.00 करोड़ (एक करोड़) रुपये के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 2,21,31,000/-(दो करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) अर्थात् वर्त्तमान में कुल रू 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/-(बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) पर स्वीकृति।

(ii) उक्त योजना का कार्यान्वयन Ministry of Road Transport & Highway, भारत सरकार के यथानिर्देषित पत्र में निहित शर्तों/ दिशा - निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

(iii) योजना का क्रियान्वयन DPR की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार खुली निविदा के द्वारा भवन निर्माण निगम लिमिटेड से कराया जायेगा।

(iv) झारखण्ड सरकार की देयता की राशि रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) रूपये का वहन बजट शीर्ष-मांग संख्या-47-परिवहन विभाग, मुख्य शीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-19 में मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (नई योजना)-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 35-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत प्राप्त बजटीय उपबंध से किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 119 - 50